महत्वपूर्ण एवं खास

जिले में 755.5 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज

रायगढ़। चालू वर्षा मौसम में रायगढ़ जिले में 22 अगस्त तक 755.5 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 31 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 926.5 मिली मीटर, पुसौर में 855.7, खरसिया में 728.1, घरघोड़ा में 751.8, तमनार में 706.5, लैलूंगा में 658.8, मुकडेगा में 699.4, धरमजयगढ़ में 612.1 छाल में 789.6 एवं कापू में 826.5 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

छ.ग.पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष आर.एस. विश्वकर्मा 27 अगस्त को लेंगे अधिकारियों की समीक्षा बैठक

रायगढ़। छ.ग.पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, रायपुर के अध्यक्ष आर.एस.विश्वकर्मा, (आई.ए.एस.,से.नि.)केबिनेट मंत्री (दर्जा)की अध्यक्षता एवं सदस्यगण यशवंत सिंह वर्मा, नीलांबर नायक, बलदाऊ राम साहू, हरिशंकर यादव, शैलेन्द्री परगनिहा, कृष्णा गुप्ता की उपस्थिति में जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक 27 अगस्त 2024 को दोपहर 2.30 बजे से कलेक्टोरेट सभाकक्ष में होगी। बैठक में शासन के समस्त विभागों द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग के भागीदारी की समीक्षा /विशेष पर चर्चा की जाएगी।

ईडीएम पद के लिए स्पीड पोस्ट से 30 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर कार्यालय जिला सारंगढ़ बिलाईगढ के ई-गवर्नेंस समिति में ईडीएम (ई-जिला तकनीकी प्रबंधक : ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर) की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता धारण करने वाले अभ्यर्थियों से स्पीड पोस्ट के माध्यम से 30 अगस्त 2024 को शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जिले की वेबसाइट सारंगढ़ बिलाईगढ़ डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन तथा कलेक्टर कार्यालय सारंगढ़ के सूचना पटल से अवलोकन किया जा सकता है।

सारंगढ़ और कोसीर सर्किल में आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आवेदन 27 अगस्त तक आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़। महिला एवं बाल विकास विभाग के सारंगढ़ और कोसीर परियोजना ने आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु 27 अगस्त 2024 तक आवेदन आमंत्रित किया है। कोसीर परियोजना अंतर्गत ग्राम देवगांव और भंवरपुर के लिए कार्यालयीन समय में परियोजना अधिकारी कार्यालय, एकीकृत बाल विकास परियोजना कोसीर में आवेदन जमा किया जा सकता है। इसी प्रकार सारंगढ़ परियोजना के ग्राम जोगनीपाली, बेहराचुवां, कंवरगुड़ा, सेंधमाल, देवसर, खैरपाली, छिंचपानी, जोगीडीपा, झलमला, भिमखोलिया, दमदरहा, जवाहरनगर और अचानकपाली के आंगनबाड़ी केन्द्र में आंगनबाड़ी सहायिका पद की भर्ती के लिए कार्यालयीन समय में परियोजना अधिकारी कार्यालय, एकीकृत बाल विकास परियोजना, गायत्री मंदिर के पीछे सारंगढ़ में आवेदन जमा किया जाना है। आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए योग्यता आठवी उत्तीर्ण निर्धारित है। इसी प्रकार आवेदिका को संबंधित गांव का निवासी होना चाहिए। गांव के मतदाता सूची में नाम दर्ज हो, निवास प्रमाण पत्र में सरपंच और सचिव का हस्ताक्षर होना चाहिए। आवेदिका की उम्र 18 से 44 वर्ष तक होनी चाहिए। सभी दस्तावेज 8वी की अंकसूची, वोटर आईडी, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि के फोटोकॉपी में स्वयं के हस्ताक्षर कर स्वप्रमाणित होना चाहिए।

महिला नक्सली कमांडर की माओवादियों ने की हत्या

पुलिस के लिए मुखबीरी करने का था शक

जगदलपुर-रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के बाद अब सीमावर्ती तेलंगाना राज्य के कोत्तागुड़ेम में नक्सलियों ने अपने ही साथी की मुखबिरी के आरोप में हत्या कर दी है। चेरला थाना क्षेत्र के चेन्नापुरम में नक्सलियों ने पुलिस के लिए मुखबिरी करने का आरोप लगाकर संगठन में सैन्य प्रशिक्षक व रक्षा बल की कमांडर महिला नक्सली नीलो उर्फ राधा को जनअदालत लगाकर मंगलवार को मार डाला। शव के पास नक्सलियों ने पर्चा भी छोड़ा है। पर्चे में लिखा गया है कि मृत नक्सली हैदराबाद की रहने वाली थी। नक्सल संगठन में भर्ती होने के बाद वह छत्तीसगढ़ सीमा से सटे आंध्रप्रदेश और ओडिशा में सक्रिय थी। नक्सलियों को संदेह था कि वह संगठन में रहते हुए पुलिस के लिए काम कर रही थी। एक सप्ताह के भीतर नक्सलियों की ओर से दूसरी बार साथी नक्सली की हत्या की गई है। 13 अगस्त को नक्सलियों ने बीजापुर जिले में दक्षिण बस्तर डिविजन में सक्रिय असिस्टेंट कमांडर कुरसम मनीष की जनअदालत लगातार हत्या की थी। उस पर पुलिस के खुफिया अफसरों को संगठन की गोपनीय जानकारी देने का आरोप लगाया गया था।

एक दिवसीय अंतर्विभागीय समन्वय बैठक सह प्रशिक्षण का हुआ आयोजन

रायगढ़

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.बी.के.चन्द्रवंशी की उपस्थिति में आरोग्यम सभा कक्ष में एक दिवसीय अन्तर्विभागीय समन्वय बैठक सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिसमें राज्य से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार 29 अगस्त को जिले के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं शासकीय विद्यालयों, शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं, केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, मदरसों, निजी स्कूलों, अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों, महाविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों के माध्यम से 1 से 19 वर्ष के बच्चों, किशोर/किशोरियों को कृमिनाशक दवा एल्बेण्डाजॉल 400 मि.ग्रा की गोली का सेवन कराया जाना है तथा मॉप-अप दिवस 04 सितम्बर 2024 को किया जाना है।

राज्य शासन द्वारा रायगढ़ जिले में लगभग 454505 बच्चों की जनसंख्या को दवा सेवन कराने हेतु लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ.टी.जी. कुलवेदी ने बताया कि कृमि मुक्ति दिवस के दिन (29 अगस्त 2024) बच्चों को दवा सेवन अवश्य कराया जाना चाहिए जिससे कि बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण का स्तर, बौद्धिक विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता में विकास, एनीमिया के रोकथाम में सुधार हो सके। डॉ.कुलवेदी ने दवा सेवन कराने के तरीके के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि उम्र अनुसार दवा सेवन किया जाना है। जिसमें 1 से 2 वर्ष तक के बालक एवं बालिकाओं को एल्बेंडाजॉल की आधी गोली चूरा/पीस करके पानी के साथ मिलाकर चम्मच से पिलाई जावे, 2 से 3 वर्ष बालक एवं बालिकाओं को एल्बेंडाजॉल की एक पूरी गोली चूरा/पीस करके पानी के साथ सेवन कराए। 3 से 19 वर्ष तक के बालक एवं बालिकाओं को एल्बेंडाजॉल की एक पूरी गोली चबा करके पानी के साथ सेवन कराना है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के दौरान किसी भी बच्चों को जबरदस्ती दवा सेवन न कराये। बच्चों की स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी लेवें तथा जो बच्चे बीमार है या कोई अन्य दवाई ले रहे है तो उन्हें कृमि नाशक की दवाई न खिलाई जाए। बच्चों को किसी भी परिस्थिति में दवाई घर ले जाने न दें। बच्चों को दवाई हमेशा अपने ही सामने खिलाए।

बैठक में सह प्रशिक्षण में जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉ. बी.पी. पटेल, आईडीएसपी नोडल डॉ. केनन डेनियल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक रंजना पैंकरा, शहरी कार्यक्र मप्रबंधक पी.डी. बस्तिया, एफएलए प्रीति शर्मा, व्हीबीडीटीएस निर्मल प्रसाद, गौतम प्रसाद सिदार एवं अन्य समस्त विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त भारत अभियान अंतर्गत टीबी मरीजों को किया गया फुड बास्केट वितरण

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन एवं सीएमएचओ डॉ.बी.के.चन्द्रवंशी तथा रंजना पैंकरा जिला कार्यक्रम प्रबंधक रायगढ़ के मार्गदर्शन में आज जिंदल फाउंडेशन, पतरापाली रायगढ़ द्वारा विकासखण्ड रायगढ़ में समस्त उपचाररत टी.बी.मरीजों को अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में फुड-बास्केट वितरण किया गया।

कार्यक्रम में जिंदल फाउंडेशन के सी.एस.आर. के अधिकारियों द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.बी.के.चन्द्रवंशी, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ.बी. पी.पटेल, जिला नोडल अधिकारी डॉ.केनन डेनियल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक रंजना पैंकरा के हाथों 60 टीबी मरीजों को अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में फुड बास्केट वितरित किया गया। उक्त कार्यक्रम में सुनील यादव जिला पीएमडीटी समन्वयक, रामप्रसाद टोप्पो एस.टी. एस., शुरूवाली साहा एस.टी. एल.एस., छबीलाल साहू टी.बी. एच.व्ही., राजेश रात्रे टी.बी.एच.व्ही. एवं जिंदल सी.एस.आर विभाग के घई एवं साहू तथा अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

अवैध शराब पर रायगढ़ पुलिस का व्यापक अभियान : 22 अवैध शराब के मामले में 224 लीटर महुआ और 132 पाव देशी प्लेन शराब जब्त

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन में आज रायगढ़ जिले के सभी थाना क्षेत्रों में अवैध शराब के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों में दो महिला समेत 22 व्यक्तियों को अवैध शराब के साथ पकड़ा गया है जिसमें कुल 22 मामले दर्ज किए गए।

प्रमुख आँकड़े:

- थाना पूंजीपथरा में 06 मामले (70 लीटर महुआ शराब)
- थाना चक्रधरनगर में 04 मामले (39 लीटर महुआ शराब)
- थाना खरसिया और कोतरारोड़ में 03-03 मामले (40 लीटर महुआ शराब)
- थाना जूटमिल में 02 मामले (132 पाव देशी प्लेन शराब)
- थाना धरमजयगढ़ में 02 मामले (35 लीटर महुआ शराब)
- थाना कोतवाली में 01 मामले (30 लीटर महुआ शराब)
- चौकी जोबी में 01 मामला (10 लीटर महुआ शराब)

अभियान के दौरान 224 लीटर अवैध महुआ शराब, 132 पाव देसी मदिरा (23.76 लीटर) और रु.5,600 शराब बिक्री राशि जब्त की गई। सभी मामलों में आरोपियों के खिलाफ संबंधित थानों में आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

हथियार लहराने वाला युवक हिरासत में, जूटमिल पुलिस ने की आर्म्स एक्ट की कार्यवाई

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन में आज अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इसी दौरान मिट्ठूमुड़ा दुर्गा चौक के पास एक व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से लोगों को डराने-धमकाने की सूचना मिली। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना जूटमिल के प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज, प्रधान आरक्षक विरेन्द्र भगत, आरक्षक तरूण महिलांगे और धनेश्वर उरांव मौके पर पहुंचे। जहां आरोपित दीपक बरेठ (पिता कंगालू राम बरेठ, 33 वर्ष) निवासी वार्ड नंबर 35 झोपड़ीपारा, थाना जूटमिल, जिला रायगढ़ को धारदार लोहे का कत्ता लहराते हुए पकड़ा। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर थाना जूटमिल लाया गया, जहां उसके खिलाफ थाना जूटमिल में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत कार्रवाई कर आरोपित को रिमांड पर भेजा गया है।

अवैध कबाड़ पर जूटमिल पुलिस की कार्यवाई

माजदा वाहन में परिवहन किए जा रहे 10 टन लोहे के अवैध कबाड़ की जब्त, चालक गिरफ्तार

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन में आज अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान के दौरान जूटमिल पुलिस ने कबाड़ के अवैध परिवहन पर कार्रवाई किया गया। माइनर एक्ट की कार्रवाई के लिए पेट्रोलिंग के दौरान थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज को कांशीराम चौक के पास मुखबिर से सूचना मिली कि उड़ीसा रोड से रायगढ़ की ओर आ रहा माजदा ट्रक वाहन (सीजी-10-बीआर-7698) में अवैध रूप से लोहे के पार्ट्स और अन्य स्क्रैप सामान लेकर जा रहा है।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने गढ़उमरिया चौक पर घेराबंदी कर संदिग्ध माजदा ट्रक को रोका। पूछताछ में ट्रक चालक ने अपना नाम सूरज राय (पिता हरिशंकर राय, उम्र 24 वर्ष) निवासी ग्राम अंकिरा, थाना तुमला, जिला जशपुर नगर, छत्तीसगढ़ बताया। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें विभिन्न प्रकार के लोहे के पार्ट्स और अन्य स्क्रैप सामान वजनी लगभग 10 टन पाया गया। आरोपी के पास इन सामानों के वैध दस्तावेज नहीं थे, जिसके चलते पुलिस ने चोरी का माल होने के संदेह में ट्रक को जब्त कर लिया। आरोपी सूरज राय के खिलाफ थाना जूटमिल में धारा 35(क)(ड) BNSS/303(2) BNS के तहत कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज, प्रधान आरक्षक मनोज सिंह, आरक्षक सुशील यादव, और जितेश्वर चौहान शामिल थे। जूटमिल पुलिस की इस सतर्कता ने क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर एक और बड़ा प्रहार किया है, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना संचालित

- पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मिलेगी परिवहन में सुविधा

रायगढ़

श्रम विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना संचालित है। जिसके अंतर्गत बस/रेल के माध्यम से 50 कि.मी.तक दैनिक यात्रा किए जाने हेतु पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को परिवहन विभाग रेल मंडल तथा नगर निगम द्वारा निर्धारित दर पर मंथली सीजन टिकट कार्ड प्रदाय किया जाएगा, जिसकी प्रतिपूर्ति राशि मंडल (श्रम विभाग)द्वारा देय होगा।

उल्लेखनीय है कि श्रम विभाग अंतर्गत छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत निर्माणी मजदूरों को एवं असंगठित कर्मकार मंडल के अंतर्गत असंगठित कर्मकारों का पंजीयन किया जाता है। छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत 69,766 मजदूरों का पंजीयन हुआ है। विभाग के अंतर्गत श्रमिक पंजीयन नि:शुल्क है एवं किसी भी सीएससी सेंटर अथवा स्वयं के द्वारा किसी भी कम्प्यूटर के माध्यम से किया जा सकता है। वर्तमान में शासन द्वारा श्रम विभाग के पंजीयन एवं योजनाओं के आवेदन हेतु मोबाइल एप्प श्रमेव जयते जारी किया गया है जिसमें श्रमिक स्वत: ही अपना पंजीयन कर सकते है एवं पंजीकृत श्रमिक योजना हेतु आवेदन कर सकते है। उक्त आवेदन google playstore अथवा श्रम विभाग की वेबसाईट cglabour.nic.in में उपलब्ध है।

पात्रता

यह योजना उन भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील है जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत है। यदि कोई श्रमिक राज्य शासन की समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना प्रारंभ के पश्चात मंथली सीजन टिकट कार्ड (एमएसटी) जारी होने के तीन माह के भीतर (90 दिवस के अंदर)लाभ दिया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज

हितग्राही के जीवित श्रमिक पंजीयन प्रमाण-पत्र के मूल स्कैन प्रति, हितग्राही के आधार कार्ड की मूल्य स्कैन प्रति, हितग्राही के बैंक पासबुक की मूल्य स्कैन प्रति एवं मंथली सीजन टिकट कार्ड (एमएसटी) की मूल्य स्कैन प्रति आवश्यक है।

आंगनबाड़ी में रिक्त पदों के लिए 27 अगस्त तक मंगाए गए आवेदन

रायगढ़

एकीकृत बाल विकास परियोजना लैलूंगा, जिला-रायगढ़ अंतर्गत आंगनबाड़ी में रिक्त मिनी कार्यकर्ता के 8 पद एवं सहायिका के 6 पद हेतु 27 अगस्त 2024 तक आवेदन मंगाए गए है। पूर्व में उक्त पदों के लिए 21 अगस्त तक आवेदन की तिथि निर्धारित थी, जिसमें वृद्धि करते हुए अब 27 अगस्त निर्धारित है। इच्छुक आवेदिका नियत तक कार्यालयीन समय में आवेदन सीधे या पंजीकृत डाक के माध्यम से परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना, लैलूंगा में भेज सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

प्रदूषण जांच केन्द्र हेतु मंगाए गए आवेदन

- जिला परिवहन कार्यालय में कर सकते है आवेदन जमा

रायगढ़

छ.ग.मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना 2001 अधिसूचना की कंडिका द्वारा बढ़ाये गये प्रदूषण जांच केन्द्र हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाना है। रायगढ़ जिले में प्रदूषण जांच केन्द्रों की स्वीकृत संख्या 27 है। वर्तमान में जिले में संचालित प्रदूषण जांच केन्द्र की संख्या 07 है। जिसमें से चलित प्रदूषण जांच केन्द्र 01 एवं स्थिर प्रदूषण जांच केन्द्र 06 है। शेष स्वीकृत स्थिर एवं चलित प्रदूषण जांच केन्द्र हेतु आवेदन कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी रायगढ़ में प्रस्तुत कर सकते है।

जिला परिवहन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक आवेदन की तारीख को हाईस्कूल या हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो और वह आवेदन की तारीख को 18 वर्ष की आयु से कम न हो। प्रदूषण जांच केन्द्र संचालन हेतु आवेदक या उसके कर्मचारी के पास आईटीआई का मैकेनिक (डीजल) मैकेनिक (मोटरयान) का प्रमाण पत्र या समतुल्य प्रमाण पत्र होना चाहिये। आवेदक को केन्द्रीय मोटरयान नियमों के अधीन आपेक्षाओं के अनुपालन में मोटरयान से उत्सजित होने वाले धुयें और गैस की जांच के लिये स्मोकमीटर (प्रिंटर सहित) और यानों की टियूनिंग के लिए आवश्यक उपकरण रखना होगा।

ऐसे आवेदक को जो मोटर वर्कशाप, मोटरसेवा केन्द्र या प्रदूषण जांच उपस्कर से सुसज्जित मोटरयान में काम करने वाले आवेदक के किसी कर्मचारी के पास ऑटोमोबाईलस/मेकेनिकल इंजनियरिंग में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री हो तो प्राथमिकता दी जावेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अल्प संख्यक समुदाय के आवेदक तथा शासन की ऋण योजनाओं में प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापित करने हेतु ऋण प्राप्त आवेदक अथवा ईकाई को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय पर जिला परिवहन कर्यालय, रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

शव वाहन के लिए 1099 पर कॉल कर ले सकते हैं नि:शुल्क सुविधा

- शव वाहन के लिए राशि की मांग की शिकायत के लिए नंबर्स किए गए जारी
- कलेक्टर गोयल ने कार्यवाही के दिए हैं निर्देश

रायगढ़

रायगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जिला अस्पताल से शव वाहन में मरीज के पार्थिव शरीर को घर तक छोडऩे के लिए वाहन की व्यवस्था है। मुक्तांजलि शव वाहन की सुविधा टोल फ्री नंबर 1099 पर कॉल कर के ली जा सकती हैं। यह सुविधा पूर्णत: नि:शुल्क है। किंतु यदि वाहन से शव छोडऩे के एवज में किसी भी प्रकार की राशि की मांग की जाती है, तो इस संबंध में शिकायत करने के लिए कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर नोडल अधिकारियों के नंबर जारी किए गए हैं। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से रघुनाथ शर्मा 88395-94227 और जिला अस्पताल से देवेन्द्र गुर्जर को 9826040108 पर कॉल कर के शिकायत कर सकते हैं। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने बीते दिनों जिले के दो प्रमुख अस्पतालों मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल को निर्देश देते हुए कहा कि अस्पताल से पार्थिव शरीर ले जाने के लिए शव वाहन नि:शुल्क मुहैय्या कराया जाता है। लेकिन कई बार वाहन चालकों या स्टाफ द्वारा शव को छोडऩे के लिए पैसे की मांग किए जाने की शिकायत मिली है। यह बेहद आपत्तिजनक है। इस पर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने दोनों अस्पतालों से इसके लिए एक-एक नोडल अधिकारी बनाते हुए उनके फोन नंबर जारी करने के निर्देश दिए हुए थे।

तमनार में आयोजित हुआ नेत्रदान पखवाड़ा कार्यशाला

रायगढ़

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमनार में आज नेत्रदान पखवाड़ा का कार्यशाला आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायगढ़ डॉ.बी.के.चंद्रवंशी ने खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ.डी. एस.पैंकरा, नेत्र सहायक अधिकारी एवं समस्त कार्यालयीन स्टाफ को जानकारी देते हुए निर्देशित किया कि रायगढ़ सहित समस्त विकाखण्डों में आने वाले 25 अगस्त से 8 सितम्बर तक नेत्रदान पखवाडा मनाया जाना है। जिसमें लोगों में जन जागरूकता फैलाकर मानव मृत्यु उपरांत 6 घंटे के भीतर नेत्रदान करवाना सुनिश्चित करें। आमजन में दृष्टि रथ के माध्यम से नेत्रदान करने हेतु प्रचार-प्रसार किये जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को नेत्रदान अवश्य करना चाहिए ताकि अंधत्व से पीड़ित व्यक्ति को इसका लाभ त्वरित मिल सके। उन्होंने कहा की नेत्रदान को भारतीय संस्कृति में महादान की संज्ञा दी गई है।

वरिष्ठ नेत्र सहायक अधिकारी अर्जुन बेहरा द्वारा बताया गया कि जिला अंधत्व निवारण समिति एवं देवकी रामधारी फाउण्डेशन के सहयोग से रायगढ़ जिले में अब तक कुल 29 व्यक्तियों द्वारा नेत्रदान किया गया है अब इसे अभियान के रूप में वृहद प्रचार-प्रसार की जरूरत है, नेत्रदान हेतु मनुष्य के कार्निया का स्वस्थ्य होना अति आवश्यक है। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमनार में आज सेवानिवृत्त डॉ आर.एन. मंडावी सिविल सर्जन, डॉ.एस.पी.वारे अस्थि रोग विशेषज्ञ जिला चि.रायगढ़, चित्रसेन पटेल लेखापाल सामु.स्वा.केन्द्र तमनार की अद्र्धवार्षिकी आयु सफलता पूर्वक पूर्ण होने पर एवं डॉ.डी. एस.पैंकरा के द्वारा जीवन रक्षक शल्य चिकित्सा प्रशिक्षण सफलता के साथ पूर्ण पश्चात खण्ड चिकित्सा अधिकारी तमनार के पद पर सेवा देने के उपलक्ष्य एवं प्रशिक्षण अवधि में डॉ.आशीष मिंज के द्वारा खंड चिकित्सा अधिकारी तमनार के रूप में किए गए सराहनीय कार्य हेतु सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ.बी. पी.पटेल, आईडीएसपी नोडल अधिकारी डॉ.केनन डेनियल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक रंजना पैंकरा, बी.एम.ई नीतिराज सिंह उपस्थित रहे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480